



Ref.No.: 271/2023/374 12023

Date: 03/04/2023

नीलामी हेतु आम सूचना

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा द्वारा विश्वविद्यालय के विभागीय वाहनों के क्रय हेतु खुली नीलामी आहूत किया जा रहा है। वाहनों का विवरण निम्नप्रकार से है :-

वाहन सं०	निबंधन संख्या	वाहन	वर्तमान में वाहन कहा उपलब्ध है	निर्धारित न्यूनतम मूल्य
1	JH 05BAB 3642	TATA SUMO	पुराने कुलपति आवास	50,000/-
2	JH 05AA 5310	FORD	टेबुलेशन भवन	50,000/-
3	JH 01AC 0439	MARUTI SX4	टेबुलेशन भवन	50,000/-

शर्त:-

1. उपर्युक्त वाहन जहां है, जिस स्थिति में है, इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान देख सकते है।
2. सभी वाहन की विक्रय एक साथ अथवा अलग-अलग नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता को की जाएगी।
3. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने विरुद्ध आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ विश्वविद्यालय निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रस्तावित दर, अंशग्रहण राशि एवं अग्रधन राशि संबंधित डी०डी० सील बंद लिफाफा में कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 5/04/2023 से 15/04/2023 तक समर्पित कर सकते है।
4. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने हेतु 2,000/- राशि का डी०डी० (कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा के नाम से एवं चाइबासा में देय) निर्धारित तिथि के अंदर नीलामी में अंशग्रहण करने हेतु आवेदन सहित जमा करना आवश्यक होगा एवं उक्त राशि वापस नहीं किया जाएगा।
5. नीलामी में स्वीकृत उच्चतम बोली अनुसार पूर्ण राशि डी०डी०(कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा के नाम से एवं चाइबासा में देय) के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
6. वाहन का उठाव जो जहां है वही से अपने खर्च एवं जोखिम पर करेंगे।
7. सभी वाहन नीलामी की तिथि के एक सप्ताह के अंदर उठाना अनिवार्य होगा।
8. डाक नीलामी परिवर्तन/रद्द/स्वीकृत/अस्वीकृत/ आदि करने का पूर्ण अधिकार माननीय कुलपति को सुरक्षित रहेगा।
9. विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल चाइबासा होगा।
10. नीलामी कार्य विरुद्ध प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 18/04/2023 विश्वविद्यालय सभागार में समय 11:30 am में किया जाएगा।
11. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने विरुद्ध अंशग्रहण कर्ता द्वारा अग्रधन राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार मात्र) का डी०डी० (कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा के नाम से एवं चाइबासा में देय) विश्वविद्यालय में समर्पित करना आवश्यक होगा।

11. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने विरुद्ध अंशग्रहण कर्ता द्वारा अग्रधान राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार मात्र) का डी०डी० (कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के नाम से एवं चाईबासा में देय)विश्वविद्यालय में समर्पित करना आवश्यक होगा। नीलामी में असफल रहे व्यक्ति/प्रतिष्ठान द्वारा जमा किया गया अग्रधन राशि (डी०डी०) नीलामी कार्य सम्पन्न होने के उपरांत वापस कर दिया जाएगा।
12. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने वाले संस्थान व्यक्ति को ,ITR /AB, GST Registration Certificate, PAN Card की छाया प्रति समर्पित करना आवश्यक होगा।
13. नीलामी कार्य में अंशग्रहण करने वाले अगर एकल व्यक्ति है उक्त स्थिति में उंच पिछले वर्ष कि ITR/return Report, PAN Card Adhar Card की छाया प्रति समर्पित करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि :-विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

माननीय कुलपति के निर्देशानुसार



कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

20/10/23